संख्या-13/2017/वे0आ0-2-741/दस-2017/124(सामान्य)/2010

प्रेषक,

श्री अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
वेतन समिति,
वित्त विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक : 11 अगस्त, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत वेतन समिति हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अन्तगर्त अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-"2070-अन्य-प्रशासि नक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 3,44,98,000/- (रूपये तीन करोड़ चौवालीस लाख अठानवे हजार मात्र) में से प्रथम पॉच माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017) में विभिन्न मदों के व्यय को वहन करने के लिए रू0 1,50,00,000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति शासनादेश संख्या-7/2017/वे0आ0-2-248/दस-2017/124(सामान्य)/2010, दिनॉक 10 अप्रैल, 2017 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है। शेष सात माह के व्ययों को वहन करने के लिए रू0 1,94,98,000/- (रूपये एक करोड़ चौरानवे लाख अट्ठानवे हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि का व्यय मदवार फॉट के अनुसार ही किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय का अधिकार प्रदान नही करता, अतः जहॉ कहीं आवश्यक हो व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेः-

(लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मानक मदें	स्वीकृत धनराशि
(1)	(2)	(3)
1	01-वेतन	89.12
2	03-महॅगाई भत्ता	6.15
3	04-यात्रा व्यय	2.92
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.30
5	06-अन्य भत्ते	11.67
6	07-मानदेय	29.17
7	08-कार्यालय व्यय	4.08
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.50
9	12-कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.06
10	13-टेलीफोन पर व्यय	1.17
11	14-मोटर गाडियों का क्रय	0.06
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	17.50
14	18-प्रकाशन	1.17
15	29-अनुरक्षण	1.17
16	42-अन्य व्यय	0.59
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.59
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	3.50
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.92
20	49-चिकित्सा व्यय	1.84
21	51-वर्दी व्यय	0.04
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	11.62
	कुल योग	194.98

(रू0 एक करोड चौरानवे लाख अट्ठानवे हजार मात्र)

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेंगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-13/2017/वे0आ0-2-741(1)/दस-2017/124(सामान्य)/2010 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष, कार्यालय वेतन समिति।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।.
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।